न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 231/2020
3. उनवान : सरकार जरिये सरोज मीणा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1.श्री राजाराम पुत्र श्री रामकुमार निवासी जीएफ–126, जेडीए क्वाटर, बाईजी की कोठी, जयपुर।
2.श्री सुभाष पुत्र श्री सालिग राम, निवासी 162 बाईजी की कोठी जयपुर।
3. मैसर्स ओम गैस एजेन्सी, उषा कालोनी, मालवीय नगर जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री संजय श्रीवास्तव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर सरोज मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 07.09.2013 को शिकायत की जांच हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के दक्षिण में कर्मचारियों के आवास के बाहर खाली पडी जमीन पर पहुंचे। मौके पर कार्यवाही के दौरान परिसर व वहां खडे टैम्पो से कुल 15 घरेलू गैस सिलेण्डर आईओसी, 7 वाणिज्यिक सिलेण्डर(6 आईओसी व 1 एचपीसी) मय कुल गैस 272.800 किग्रा., 1 सॉल्टर मशीन, 1 पेचकस, 1 बांसुरी व एक टैम्पो नम्बर आरजे–14–2जी–5203 जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा गैस अन्तरण कर अवैध रुप से विक्रय कर घरेलू गैस की कालाबाजारी की जा रही थी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 28.10.2013 को अधिवक्ता श्री संजय श्रीवास्तव ने उपस्थिति दी। दिनांक 16.09.2013 को श्री मुकेश सैनी ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थीगण/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र को लिखित बहस मानने का प्रार्थना पत्र पेश किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 07.09.2013 को जब्त सामान से गैस अन्तरण कर अवैध रुप से विक्रय कर घरेलू गैस की कालाबाजारी की जा रही थी। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थीगण ने बताया कि उनके द्वारा भरे हुये सिलेण्डरों में से 1 से 2 किग्रा. गैस निकालकर खाली सिलेण्डरों में भरी जाती है। अप्रर्थीगण द्वारा मौके पर खडे टैम्पों में से जब्त सिलेण्डरों को ओम गैस एजेन्सी का बताया गया। मौके पर 4 घरेलू सिलेण्डरों व 2 वाणिज्यिक सिलेण्डरों में गैस कम पायी गयी जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा गैस निकाली गयी थी तथा मौक पर जब्त टैम्पू जो उक्त अवैध कारोबार में अवैध रुप से परिवहन के काम में लिया जा रहा था। अतः अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त सामान कुल 15 घरेलू गैस सिलेण्डर आईओसी, 7 वाणिज्यिक सिलेण्डर(6 आईओसी व 1 एचपीसी) मय कुल गैस 272.800 किग्रा., 1 सॉल्टर मशीन, 1 पेचकस, 1 बांसुरी व एक टैम्पो नम्बर आरजे–14–2जी–5203 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर